रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01092022-238469
CG-DL-W-01092022-238469

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, अगस्त 21— अगस्त 27, 2022, शनिवार/श्रावण 30—भाद्र 5, 1944
No. 30] NEW DELHI, AUGUST 21—AUGUST 27, 2022, SATURDAY/SRAVANA 30—BHADRA 5, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में मुख्य संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी (समूह 'क' राजपत्रित) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी (समूह 'क' राजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2022 है।

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 39021/03/2020-Estt.(B)]

MANAVENDRA PRATAP Under Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

सा.का.नि.113.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 36 की उपधारा (1) के अनुसरण में, संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रथम परिनियमों का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियम (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त परिनियम कहा गया है) के पैरा 2 के खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

(ञ) "संस्थान" से उक्त अधिनियम की अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित कोई भी संस्थान अभिप्रेत है;"

4. उक्त परिनियम के पैरा 3 के उपपैरा (2) के खंड (2) में उपखंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(ठ) संस्थान के शासक-बोर्ड के लिए दो आचार्य को नामनिर्दिष्ट करना ।"

[फा. सं. 50020/69/2022-एनआईपीईआर]

रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल परिनियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड, 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 391, तारीख 30 अक्टूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 355, तारीख 27 नवम्बर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

New Delhi, the 24th August, 2022

G.S.R. 113.—In pursuance of sub-section (1) of section 36 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Central Government hereby make the following further amendments to the first Statutes of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research made under

section 27 of the said Act by the Board of Governors of the Institutes with the previous approval of the Visitor, namely:-

2. (1) These statues may be called the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Statutes, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Statutes (hereinafter referred to as the said statutes), in paragraph (2), for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:-

(j) "Institute" means any of the institutions mentioned in column (3) of the Schedule to the said Act;"

4. In the said statutes, in paragraph 3, in sub. Paragraph (2), in clause (2), after sub-clause (k), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(l) to nominate two professors to the Board of Governors of the Institute."

[F. No. 50020/69/2022-NIPER]

RAJNEESH TINGAL, Jt. Secy.

Footnote: - The principal Statutes were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub.section (1) vide number G.S.R. 391, dated the 30th October, 2003 and last amended vide number G.S.R. 355, dated the 27th November, 2019.

IndiaCode

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा.का.नि 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुछेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय समूह ख पद पर भर्ती नियम, 2013 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार के औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में समूह ख पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, (वैयक्तिक सहायक समूह ख पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।